

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित
पत्रावली वास्ते जवाब 71 हेतु दिनांक 5.4.18
को पेश हो। साक्षिक आदेश आ. वि. वि. वलयपत्र
को।

Sund
16.3.18

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित।
पत्रावली वास्ते जवाब 71 हेतु दिनांक
12.4.18 को पेश हो। साक्षिक आदेश आ. वि. वि.
को पत्रावली रहेगा।

Sund
5.4.18

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित
पत्रावली वास्ते जवाब 71 हेतु दिनांक
25.4.18 को पेश हो। साक्षिक आदेश आ. वि. वि.
तक पत्रावली रहेगा।

Sund
12.4.18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आगामी कार्यवाही
हेतु न्याय आदेश द्वारा स्थगित... मनोहरपुरा में दि 18.05.18
में पेश हो।

जवाब पेश किया
25/4/18

पत्रावली अत्र शजस्व लोड अदालत न्याय
आपडे डार केम कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई।
प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित जिनकी पहचान
सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुरा में की है।
प्रार्थी का मूलवाड स्वीकार किये जाने से उक्त
प्रार्थना पत्र को भागी न्यलाया जाना उचित नहीं
समझते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी
निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है न्यायालय
द्वारा दिनांक 30.08.2017 को जारी स्थगन

श. कुन्तल
सरपंच
शकुन्तला देवी मीन
ग्राम पंचायत मनोहरपुरा
रंस बगली (जयपुर)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
		<p>आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है पत्रावली नम्बर है कम है।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को प्राथम अपील डार डेप्य कोर्ट मनौहरपुरा में मजमे आम में सुनाया गया।</p> <p>Smd 18-5-18</p>	